



1. तटीय जलीय कृषि नियम के तहत चिड़ियाटापू में दो और व्यावसायिक ओपन सी केज कल्चर इकाई के पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है।
2. स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के वर्तमान आपातकालीन एम्बुलेंस टोल-फ्री टेलीफोन नंबर 102 को बदलकर अब 112 कर दिया गया है।
3. नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से विभिन्न ग्राम पंचायतों में विशेष आधार शिविर लगाए जा रहे हैं।
4. जहाजरानी सेवा निदेशालय की ओर से पुराने वाहन फेरी समय-सारणी को 13 जुलाई से पुनः बहाल कर दिया जाएगा।



अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में तटीय जलीय कृषि नियम, 2024 के प्रावधानों के तहत भारत में पहली बार एक व्यावसायिक ओपन सी केज कल्चर फार्म का पंजीकरण किया जा रहा है। मत्स्य पालन विभाग द्वारा लीज पर दिए गए समुद्री क्षेत्र में 'आइलैंड्स एक्वाकल्चर एंड मरीन सर्विसेज' द्वारा स्थापित इस ओपन सी केज कल्चर फार्म को तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण, चेन्नई द्वारा पंजीकरण प्रदान किया गया है। यह उपलब्धि सतत समुद्री जलीय कृषि विकास में द्वीपसमूह की अग्रणी स्थिति को मजबूत करती है और निवेश, रोजगार सृजन तथा ब्लू इकोनॉमी के नए रास्ते खोलती है। तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण, चेन्नई के तहत चिड़ियाटापू में दो और व्यावसायिक ओपन सी केज कल्चर इकाई के पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए उद्यमियों और मछुआरों को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 5 लाख रुपये प्रति केज की इकाई लागत पर वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, जो सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए स्वीकृत इकाई लागत का 40 प्रतिशत और महिला लाभार्थियों के लिए 60 प्रतिशत है।



स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के वर्तमान आपातकालीन एम्बुलेंस टोल-फ्री टेलीफोन नंबर 102 को बदलकर अब 112 कर दिया गया है। अब से, द्वीपसमूह के सभी स्वास्थ्य संस्थानों के लिए आपातकालीन एम्बुलेंस टोल-फ्री टेलीफोन नंबर 112 का उपयोग किया जाएगा, जिसमें जी.बी. पंत अस्पताल, जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अन्य सरकारी स्वास्थ्य संस्थान शामिल हैं।



मत्स्य पालन विभाग, की ओर से वर्ष 2026-27 के लिए नए मोटर चालित मछली पकड़ने वाली नावों के निर्माण और खरीद के लिए सब्सिडी नामक केंद्र शासित प्रदेश योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस योजना के तहत सामान्य मछुआरों, बेरोजगार युवा, स्थानीय उद्यमियों और मत्स्य सहकारी समितियों के लिए इकाई लागत का 50 प्रतिशत, जबकि अनुसूचित जनजाति और जनजातीय सहकारी समितियों के लिए इकाई लागत का 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए आवेदक का द्वीपसमूह का मछुआरा होना अनिवार्य है। इच्छुक आवेदक आवेदन पत्र और विस्तृत दिशानिर्देश मत्स्य निदेशालय, क्षेत्रीय मत्स्य कार्यालयों या अपने निकटतम मत्स्य उप-केंद्रों से प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र 15 जुलाई तक निकटतम क्षेत्रीय मत्स्य कार्यालय या उप-केंद्रों पर जमा किए जा सकते हैं।



राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी-एनटीए ने सीएसआईआर यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के लिए अग्रिम शहर सूचना पर्ची जारी कर दी है। यह परीक्षा 17 और 18 जुलाई को आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.csirnet.nta.nic.in से अपनी पर्ची डाउनलोड करने की सलाह दी गई है।



अंडमान निकोबार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष राजेश पुरिया के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने, महासचिव मदन लाल और पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद एच जाडवेट के साथ कल लोक निवास में उपराज्यपाल सेवानिवृत्त एडमिरल डी के जोशी से मुलाकात की। बैठक के दौरान, द्वीपसमूह के लिए कार्गो क्षमता सहित घरेलू उड़ानों की संख्या बढ़ाने, सीप्लेन और उड़ान योजना के तहत विमान संचालन में तेजी लाने तथा अंतर्राष्ट्रीय उड़ान कनेक्टिविटी को फिर से बहाल करने की आवश्यकता पर चर्चा की गई।



नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से आम जनता की सुविधा के लिए जुलाई माह में विभिन्न ग्राम पंचायतों में विशेष आधार शिविर लगाए जाएंगे। यह शिविर सुबह साढ़े नौ बजे से शाम 4 बजे तक लगेगा। नील केंद्र में आज और कल, विवेकानंदपुर में 17, बसंतीपुर में 16 और 17 जुलाई तथा कच्छाल में 15 से 22 जुलाई तक शिविर लगेगा। विभाग ने लोगों से इस सेवा का लाभ उठाने को कहा है।



जहाजरानी सेवा निदेशालय की ओर से पहली जुलाई से चाथम-डंडस प्वाइंट के बीच संचालित वाहन फेरी सेवा की समय-सारणी में संशोधन किया गया था। यात्रियों को हो रही असुविधा और आम जनता के अनुरोध पर निदेशालय ने संशोधित वाहन फेरी समय-सारणी को वापस लेने का निर्णय लिया है। इसके अनुसार पहले से लागू वाहन फेरी समय-सारणी को 13 जुलाई से पुनः बहाल कर दिया जाएगा।



राष्ट्रव्यापी नशीली दवाओं के निपटान अभियान के तहत अंडमान निकोबार पुलिस ने कल 63 एनडीपीएस मामलों से संबंधित जब्त की गई नशीली दवाओं का मिनी बे स्थित आईएनएचएस धन्वंतरि में निपटान किया। यह कार्रवाई स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 और स्वापक औषधि और जब्ती, भंडारण, नमूनाकरण और निपटान नियम, 2022 के प्रावधानों के अनुसार की गई। जब्त की गई दवाओं के मूल्यांकन के लिए निर्धारित दरों के अनुसार, अवैध बाजार में इसकी अनुमानित कीमत लगभग 43.58 करोड़ रुपये है। यह निपटान अभियान पुलिस महानिदेशक रवींद्र यादव और पुलिस महानिरीक्षक गीता रानी वर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया।



डॉ. बी.आर. अंबेडकर संस्थान के कौशल विकास कार्यक्रम प्रकोष्ठ की ओर से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के तहत मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग और शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग – वेल्डर में 03 महीने के अल्पकालिक निःशुल्क प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को उद्योग के अनुकूल तकनीकी कौशल की जानकारी देना और योग्यता-आधारित प्रशिक्षण के माध्यम से उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में, प्रशासन के तहत उपयुक्त विभागों में तीन महीने की प्रशिक्षण अवधि के दौरान ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग भी आयोजित की जाएगी। वर्तमान बैच के लिए कुल 20 सीटें उपलब्ध हैं। आवश्यक शैक्षणिक योग्यता रखने वाले इच्छुक उम्मीदवारों से कल तक संस्थान के एसडीपी सेल से संपर्क करने को कहा गया है।



कला एवं संस्कृति विभाग, की ओर से कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण पर जागरूकता और क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कला एवं संस्कृति निदेशक प्रियंका कुमारी ने कार्यस्थल को सुरक्षित, सम्मानजनक और समावेशी बनाने में पॉश अधिनियम के महत्व पर प्रकाश डाला। तकनीकी सत्र का संचालन करते हुए पॉश की मास्टर ट्रेनर रुबीना सिद्दीकी ने कानूनी ढांचे, नियोक्ताओं और कर्मचारियों की भूमिकाओं व जिम्मेदारियों, आंतरिक समितियों के कामकाज और शिकायतों की रोकथाम, निषेध व निवारण की प्रक्रियाओं के बारे में बताया। कार्यक्रम में कला एवं संस्कृति विभाग, जनजातीय कल्याण विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया।

